फीमेल जेनाइटल म्यूटलिेशन के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

विश्व स्तर पर **फीमेल जेनाइटल म्यूटलिेशन (FGM) के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (6 फरवरी)** ***"⍰⍰⍰⍰⍰ ⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰"*** थीम के अंतर्गत मनाया गया, जिसमें FGM को समाप्त करने के क्रम में मज़बूत गठबंधन एवं इस पहल के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नोट: FGM के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस **वर्ष 2012 में** [**संयुक्त राष्ट्र महासभा**](#) द्वारा जागरूकता बढ़ाने एवं FGM को समाप्त करने के क्रम में वैश्विक प्रयासों को संगठित करने हेतु स्थापित किया गया था।

फीमेल जेनाइटल म्यूटलिेशन क्या है?

- **परिभाषा:** FGM में गैर-चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या चोट पहुँचाना शामिल है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और बालिकाओं एवं महिलाओं** की निजता का उल्लंघन माना जाता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - **तत्काल:** इसमें गंभीर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण एवं सदमा के साथ मृत्यु भी हो सकती है।
  - **दीर्घकालिक:** दर्द, संक्रमण के साथ मासिक धर्म एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ विकसित होती हैं।
- **वैश्विक प्रसार: विश्व भर में 230 मिलियन** से अधिक बालिकाएँ और महिलाएँ FGM से गुजर चुकी हैं, जिनमें से अधिकतर **अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं एशिया के 30 देशों** से संबंधित हैं।
  - प्रायः **शिशु अवस्था से 15 वर्ष की आयु के बीच की छोटी कन्याओं का FGM किया जाता है।** अनुमानतः प्रत्येक वर्ष **4 मिलियन कन्याओं को** FGM का खतरा होता है, जो **प्रतिदिन** औसतन **12,000 मामले** होते हैं।
- **FGM के अभ्यास के कारण: कई समुदायों में, FGM** को **कन्या की परवरिश** करने, उसे वयस्कता अथवा प्रौढ़ता और विवाह के लिये तैयार करने की दृष्टि से एक आवश्यक भाग के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे **स्त्री कामुकता** नियंत्रित होती है और विवाहपूर्व कौमार्य तथा वैवाहिक विश्वस्तता सुनिश्चित होती है।
  - कुछ लोग भूलवश यह मान लेते हैं कि FGM का अभ्यास करना धार्मिकता है, हालाँकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस प्रथा का निर्देश नहीं दिया गया है।
  - **लैंगिक असमानता पर आधारित,** FGM **जेंडर आधारित हिंसा** है जिससे कन्याओं के शरीर को नुकसान पहुँचता है और उनके जीवन को खतरे होता है।
- **उन्मूलन:** संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य [**सतत् विकास लक्ष्य**](#) **5.3 के तहत वर्ष 2030 तक FGM का उन्मूलन** करना है, जिसका लक्ष्य बाल विवाह और FGM जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना है।
- **चुनौतियाँ:** कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया, जैसे कि **गाम्बिया** द्वारा FGM प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया गया जो दर्शाता है कि इसके उन्मूलन की प्रगति में भिन्नता है।
  - लगभग 7 मिलियन कन्याएँ और महिलाएँ निवारण सेवाओं से लाभान्वित हुईं, लेकिन वर्ष 2030 तक FGM के उन्मूलन की दृष्टि से विश्व में इसका गिरावट स्तर **27 गुना तेज़** होना चाहिये।
  - जिन 31 देशों से FGM की व्यापकता पर डेटा एकत्र किया गया है, उनमें से केवल **7 देश** ही इस प्रथा को समाप्त करने के लिये वर्ष **2030 के संयुक्त राष्ट्र SDG लक्ष्य** को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं।
  - स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा FGM करने की **प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है**, जो इस गलत धारणा पर आधारित है कि यह प्रथा **इसे सुरक्षित बना सकती है**।
- **सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान: केन्या** और **युगांडा** जैसे देशों में समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों और सुदृढ़ नीतियों के कारण प्रचलन दर में गिरावट देखी गई है।
  - संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने FGM को समाप्त करने के लिये सरकारों, नागरिक समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और ज़मीनी स्तर के संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है।

//

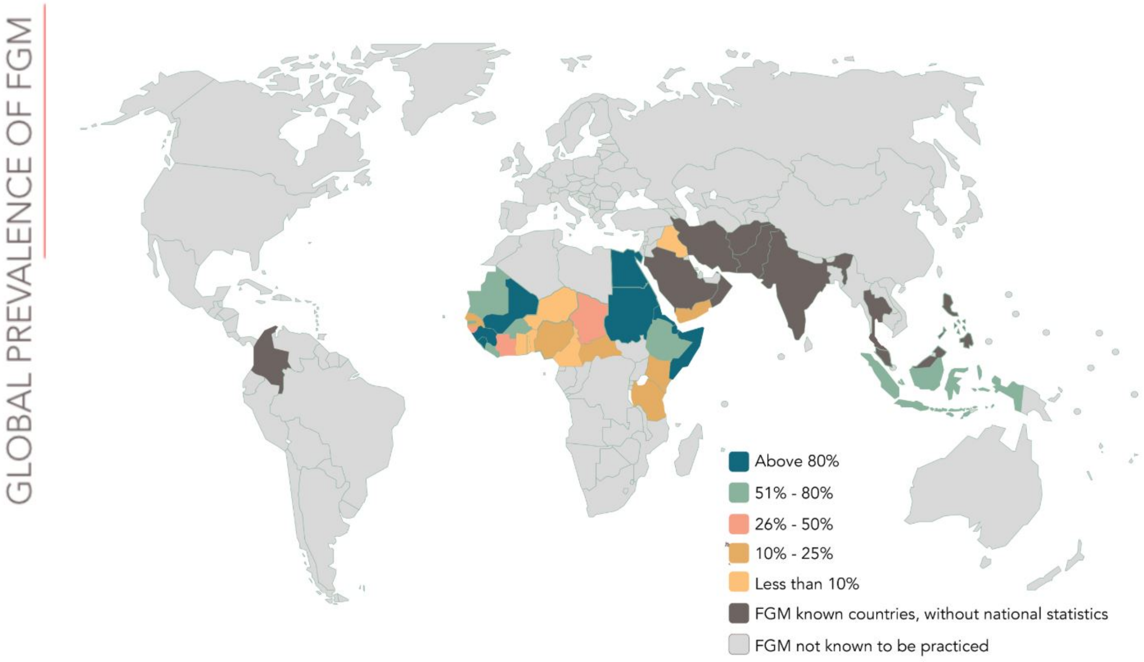

भारत में FGM

- भारत में FGM को **"खफ्द (Khafd)" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका कारण** परंपरा को कायम रखना, धार्मिक आदेशों का पालन करना और महिलाओं की यौन स्वतंत्रता को नियंत्रित करना है।
    - भारत में यह प्रथा मुख्य रूप से **बोहरा मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रचलित है, इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विशेष कानून नहीं है।**
- वर्ष 2018 में **महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन** का हवाला देते हुए **FGM** पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक **जनहित याचिका** दायर की गई थी; लेकिन समुदाय ने इसे **अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताते हुए इसका बचाव किया था।**
    - सुप्रीम **कोर्ट (SC) ने** कहा कि **FGM अनुच्छेद 21** (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और **अनुच्छेद 15** (लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं) का उल्लंघन करता है। **हालाँकि** जनहित याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

[illegible]:

प्रश्न: फीमेल जेनाइटल म्यूटलेशन (FGM) प्रथा के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों पर चर्चा कीजिये, इसका महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर प्रभाव को बताइये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[illegible]

भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये? (2015)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/international-day-of-zero-tolerance-for-female-genital-mutilation